आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005, फोन-(022) 66552711/ 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की **18वीं वार्षिक महासभा शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पूरी तरह से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)** से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा यथा 31 मार्च 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएन: 03022106), उप प्रबंध निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

3. श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754), एलआईसी के नामिती निदेशक की आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹5000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए] या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है."

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005, Phone-(022) 66552711 / 3147

E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **18th Annual General Meeting** of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Friday, July 22, 2022 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM),** to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2022 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the audited consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2022;

2. To re-appoint Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN:03022106), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

3. To re-appoint Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN: 06638754), LIC Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of Members of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10/- each and aggregating up to ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/ guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी), ईएसपीएस, ईएसओपी और/या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा."

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हो, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशकों अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जाए/की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू क़ानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुन: अधिनियमन शामिल हैं), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री मनोज सहाय (डीआईएन 08711612), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 28 अप्रैल 2022 से बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of Public Issue, Rights Issue, Qualified Institutional Placement (QIP), ESPS, ESOP and/or on a Private Placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/ guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Directors or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (v) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. April 28, 2022."

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुन: अधिनियमन शामिल है), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन 09584577), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 28 अप्रैल 2022 से बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों और इसकी धारा 152(6) और धारा 160(1) तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(v) एवं (vii), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों तथा अन्य लागू क़ानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसमें पुन: अधिनियमन शामिल है), तथा एनआरसी एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसरण में, श्री राज कुमार (डीआईएन 06627311), जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, की 19 मई 2022 से बैंक के बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है."

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक विधि प्रावधानों (किसी भी संशोधन (संशोधनों), सांविधिक आशोधन (संशोधनों) अथवा उनके तात्कालिक पुनर्अधिनियमों सहित) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/गठन की जाने वाली किसी भी समिति (समितियां)शामिल है) को बैंक के एक सहबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेन की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हो अथवा साथ-साथ किए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पूरा करने और/ या जारी रखने की पुष्टि करते हैं तथा इसके लिए अनुमोदन भी प्रदान करते हैं:

1) एलआईसी से चालू खाता जमा या सावधि जमा ("जमा") और उस पर ब्याज सहित जमा (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से);

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (v) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. April 28, 2022."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (iv) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Raj Kumar (DIN: 06627311) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. May 19, 2022."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

1) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits ("Deposits") from LIC and interest thereon;

2) बैंक की संबंधित नीतियों और प्रयोज्य विधि के तहत अनुमत शर्तों और मानदंडों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि आदि सहित) पर एलआईसी को अनुमत राशि तक किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधा अथवा किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधा तथा/ अथवा गारंटी, साख पत्र अथवा गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करना; तथा

3) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज और उसकी मोचन राशि का भुगतान

4) बीमा उत्पादों और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा/ अथवा बैंक/ इसकी सहायक कंपनियों को निम्न कार्य के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/ सेवाओं का हस्तांतरण: (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं, बीमा सेवाओं, परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क, अनुबंध शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से प्राप्त अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किया गया व्यय करने के लिए.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन, चाहे व्यक्तिगत रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, ₹1,000 करोड़ से अथवा बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से, इनमे से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का प्रमुख हिस्सा हों, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र और समान स्तर के पक्षकार से तथा बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड (इस पद के अंतर्गत बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ गठित की गई या इसके बाद गठित की जाने वाली समिति शामिल है) द्वारा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएँ तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी (रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए सभी या किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन करने की पुष्टि करते हैं और अनुमोदन करते हैं.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.
दिनांक : 23 जून 2022

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.

2. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करना है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021, 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं.17/2020, 5 मई 2020 के परिपत्र सं.20/2020 के साथ पठित दिनांक 05 मई 2022 के परिपत्र सं.02/2022 तथा

2) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank; and

3) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof.

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

5) Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from/ to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank.

notwithstanding the fact that such contracts/arrangements/ transactions during a Financial Year, whether individually and/ or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/ arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 23 , 2022

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.

2. In view of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/एफ/2020/11 और दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ /सीएफडी /सीएमडी1/ सीआईआर/एफ/2020/79 के साथ पठित दिनांक 13 मई 2022 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 के अनुसरण में सदस्य आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में अपनी उपस्थिति एवं सहभागिता वीसी/ओएवीएम माध्यम से दर्ज करा सकते हैं.

3. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 के साथ पठित 5 मई 2022 के परिपत्र सं. 20/2022 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर उनके लिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान कर सकते हैं.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. बैंक, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2021, 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 05 मई 2020 के साथ पठित 05 मई 2022 के परिपत्र के अनुसरण में महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 05 मई 2022 के परिपत्र सं. 02/2022 अनुपालन में वार्षिक महासभा में बुलाए जाने की नोटिस बैंक की वेबसाईट www.idbibank.in पर अपलोड की गई है. यह एजीएम नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी देखी की जा सकती है. वार्षिक महासभा की नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.

8. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, यूनिट आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं.

No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 read with Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

3. Pursuant to the Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated May 05, 2022 read with January 13, 2021, April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

7. In line with the MCA Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com .

8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit IDBI Bank, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad– 500 032 [Tel. No.

(040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल:einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 डटेलीफोन नं. (022) 66553147/2711/3062/3336, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध रहेंगे जिसके लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करना होगा.

11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस में नीचे दिए गए हैं.

12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **शनिवार, 16 जुलाई 2022 से शुक्रवार, 22 जुलाई 2022** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **15 जुलाई 2022** (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 18 जुलाई 2022 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरू होगी और गुरुवार, 21 जुलाई 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में यथा रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात् 15 जुलाई 2022 को दर्ज हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकते हैं. शेयरधारकों के मताधिकार यथा निर्दिष्ट तारीख, जो 15 जुलाई 2022 है, को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार वोट करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार "दो चरण" शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

अ) ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन पद्धति तथा डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर दिनांक 09 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपत्र की शर्तों के अनुसार, डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटिरियों या डिपॉजिटिरी सहभागियों के पास खोले गए डिमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाती है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डिमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित करें.

(040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/2711/3062/3336, E-mail : idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, July 16, 2022 to Friday, July 22, 2022** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **July 15, 2022** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The **remote e-voting period begins on and from Monday, July 18, 2022 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Thursday, July 21, 2022 at 5.00 P.M. (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. July 15, 2022, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being July 15, 2022.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है :

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. यदि आप **एनएसडीएल की आईडीईएएस सुविधा** के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो कृपया आप एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट पर जाएँ. व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://eservices.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-सेर्विसेस का होम पेज खुलते ही "Login" के अंतर्गत **"Beneficial Owner"** आइकॉन पर क्लिक करें जो **"IDeAS"** सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 2. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. **"Register Online for IDeAS"** पोर्टल सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप "NSDL Speede" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. If you are already registered for **NSDL IDeAS facility,** please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the **"Beneficial Owner"** icon under "Login" which is available under **"IDeAS"** section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider - NSDL** and you will be re-directed to NSDL e-Voting website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS"** Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider - NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play

वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. वर्तमान यूजर जिन्होंने Easi/ Easiest का चुनाव किया है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. Easi / Easiest को लॉगिन करने हेतु यूजर के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है तथा इसके बाद New System Myeasi पर क्लिक करें. 2. Easi/Easiest का सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद यूजर ई-वोटिंग मेनू भी देख पाएंगे. मेनू के पास **ई-वोटिंड सर्विस प्रदाता, अर्थात एनएसडीएल** के लिंक होंगे. अपना मतदान करने के लिए **NSDL** पर क्लिक करें, 3. यदि यूजर Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डिमैट खाता संख्या और पैन नंबर मुहैया करा कर सीधे ई-वोटिंग पेज एक्सेस कर सकते हैं. प्रणाली डिमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद यूजर को संबन्धित ईएसपी, अर्थात **एनएसडीएल** के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग चल रहा है.
वैयक्तिक शेयरधारक (जो डिमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या **e-Voting service provider - NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

महत्वपूर्ण सूचना : जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव न कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर Forgot User ID और Forgot Password विकल्प का उपयोग करें.

डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरों के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन स्वरूप	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.co.in पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबरों 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.
सीडीएसएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा 022-23058738 या 022-23058542-43 पर कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Existing users who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. 2. After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the e-Voting Menu. The Menu will have links of **e-Voting service provider i.e. NSDL**. Click on **NSDL** to cast your vote. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on options available against Bank name or **e-Voting service provider-NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43

आ) डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वाले वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों से इतर के लिए ई-वोटिंग/ वर्चुअल बैठक में जॉइन करने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें.

2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो "Shareholders/ Member" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.

3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

   विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् Cast your vote electronically की तरफ बढ़ सकते हैं.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं :

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपका यूजर आईडी 12********** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	ईवीईएन संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारक से इतर शेयरधारकों के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

   ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करते समय, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यत: पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

   ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

      (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी

B) **Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if ayou are registered for NSDL eservices i.e. IDeAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDeAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

   c) How to retrieve your 'initial password'?

      (i) If your email ID is registered in your demat

पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे **उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.**

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **"Forgot User Details/Password?``** पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर **"Physical User Reset Password?``** विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलिओ संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए "Agree to Terms and Conditions" पर टिक करें.

8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा.

9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रोनिक रूप से करें और एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर महासभा में शामिल हों.

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है और महासभा में शामिल कैसे होना है?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे, जिनमें आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग साइकिल और महासभा एक्टिव स्थिति में हैं.

2. आप उस बैंक का "EVEN` चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा में मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको "Join General Meeting" के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक को क्लिक करना होगा.

3. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.

4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् assent or dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा "Submit" पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर "Confirm" पर क्लिक करें.

5. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.

6. आप पुष्टीकरण पृष्ठ पर "Print` विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/Password?"**(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **"Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account16number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.